

Dated : 4th June, 2024.

Office Memorandum


Sub.: Revision of the rates of various allowances after enhancement of Dearness Allowances to 50% - reg.

Consequent upon the revision of the rate of Dearness Allowance to 50% with effect from 01.01.2024 vide the DOE OM No. 1/1/2024-E-II(B) dated 12th March, 2024, the rates of Allowances (House Rent Allowance, CEA, Travelling Allowance) stand revised with effect from 01.01.2024, in accordance with the instruction contained in Ministry of Finance Office Memorandum dated 07.07.2017 and 13.07.2019 w.e.f. 01.0.2024

The allowance payable alongwith the admissible revised rate w.e.f. 01.01.2024, are listed below :-

Sl.No.	Name of the Allowance	Existing Rates	Rates when DA rise by 50%	New Rates
1.	House Rent Allowance For 'X' Cities/Towns	27%	Increase by 3%	30%
2.	House Rent Allowance for 'Y' Cities/Towns	18%	Increase by 2%	20%
3.	House Rent Allowance for 'Z' Cities/Towns	9%	Increase by 1%	10%
4.	Children Education Allowance (including Educational Concession)	CEA – Rs.2250/- p.m. Hostel subsidy – 6750/- p.m. (full tuition fee in Educational Concession)	Rise by 25%	CEA – Rs.2812.5/- p.m. Hostel subsidy – Rs.8437.50/- p.m.
5.	TA on transfer Reimbursement of charges on transportation of personal effect	Rs.12/- to 50/- per km.	Rise by 25%	Rs.15/- to Rs.62.5/- per km.
6.	Dress Allowance (Uniform)	Rs.5,000/- per annum	Rise by 25%	Rs.6250/- per annum
7.	Ceiling of Gratuity	Rs.20/- lakhs (Maximum)	Rise by 25%	Rs.25/- lakhs (Maximum)

This is issued with the approval of Competent Authority, IGNC A.


(Bijender)

Deputy Secretary

Copy to :

1. Dy. F.A. & Sr. A.O (Accounts Branch)
2. So (S&S) – For approval of Briefcase Allowance – Rise by 25%
3. Rajbhasha Division for Hindi Translation
4. Upload in the IGNC A Website
5. Guard file

Copy for information to :-

- (i) PPS to Member Secretary
- (ii) PPS to Director(A)
- (iii) PS to FA&CAO

दिनांक: 04.06.2024

कार्यालय ज्ञापन


विषय:- महंगाई भत्ते में 50% की वृद्धि के पश्चात विभिन्न भत्तों की दरों में संशोधन के संबंध में-

व्यय विभाग (डीओई) के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/1/2024-ई-III(बी) दिनांक 12 मार्च, 2024 के अनुक्रमण में महंगाई भत्ते की दरों को 50% तक संशोधित करने के परिणामस्वरूप, वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 07-07-2017 और 13-07-2019 में निहित अनुदेश के अनुसार भत्तों की दरें (मकान किराया भत्ता, सीईए, यात्रा भत्ता) दिनांक 01.01.2024 से संशोधित कर दी गई है, यह दरें दिनांक 01-01-2024 से प्रभावी होंगी।

दिनांक 01-01-2024 से स्वीकार्य संशोधित दरों के साथ देय भत्ते नीचे सूचीबद्ध किए गए हैं:-

क्र.सं.	भत्तों का प्रकार	मौजूदा दरें	महंगाई भत्ता 50% वृद्धि दरों के साथ	नई दरें
1.	एक्स('X') श्रेणी के शहरों/नगरों हेतु मकान किराया भत्ता	27%	3% की वृद्धि	30%
2.	वाई('Y') श्रेणी शहरों/नगरों हेतु मकान किराया भत्ता	18%	2% की वृद्धि	20%
3.	जेड('Z') श्रेणी शहरों/नगरों हेतु मकान किराया भत्ता	9%	1% की वृद्धि	10%
4.	बाल शिक्षा भत्ता (शैक्षिक रियायत सहित)	बाल शिक्षा भत्ता(सीईए) -2250/- रु. प्रतिमाह छात्रावास सब्सिडी - 6750/- रु. प्रतिमाह (शैक्षिक रियायत में पूर्ण शिक्षण शुल्क)	25% की वृद्धि	बाल शिक्षा भत्ता (सीईए) - 2812.5/- रु. प्रतिमाह छात्रावास सहायिकी - 8437.50/- रु. प्रतिमाह
5.	स्थानांतरण पर यात्रा भत्ता व्यक्तिगत सामान के परिवहन पर लगने वाले शुल्क की प्रतिपूर्ति	12/- रु. से 50/- रु. रुपये प्रति कि.मी.	25% की वृद्धि	15/- रु. से 62.5/- रु. प्रति कि.मी.
6.	परिधान भत्ता(यूनिफार्म)	5,000/- रु. प्रति वर्ष	25% की वृद्धि	6250/- रु. प्रति वर्ष
7.	ग्रेच्युटी की सीमा	20 लाख रु. (अधिकतम)	25% की वृद्धि	25 लाख रु.(अधिकतम)

यह सक्षम प्राधिकारी, इ.गां.रा.क.केन्द्र के अनुमोदन द्वारा जारी किया जाता है।


(बिजेन्द्र) 4/6/2024

उप सचिव (स्था. एवं प्रशा.)

प्रतिलिपि:

- उप वित्त सलाहकार एवं वरिष्ठ लेखा अधिकारी (लेखा अनुभाग)
- अनुभाग अधिकारी (सेवा एवं आपूर्ति) - ब्रीफकेस भत्ते के अनुमोदन हेतु - 25% की वृद्धि
- इ.गां.रा.क.केन्द्र वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

- (i) सदस्य सचिव के मुख्य निजी सचिव
- (ii) निदेशक (प्रशासन) के मुख्य निजी सचिव